बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
–:: आदेश ::–

सं० सं०–17/विविध– 01–36/2026– **पटना, दिनांक :– / / 2026**

डॉ० कलबी फातिमा, सीनियर रेजिडेन्ट (टेन्योर), दंत विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को स्वास्थ्य विभागीय आदेश संख्या–1133(17), दिनांक–29.11.2022 की कंडिका–07 के शर्ताधीन दिनांक–11.02.2026 से 24.06.2026 तक कुल–134 (एक सौ चौंतीस) दिनों का द्वितीय संतान हेतु उपभोगित मातृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–

(रेणु कुमारी)
विशेष कार्य पदाधिकारी
–सह–संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :–17/विविध– 01–36/2026– 1399/17) **पटना, दिनांक :–** 21/10/**2026**

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– डॉ० कलबी फातिमा, सीनियर रेजिडेन्ट (टेन्योर), दंत विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी
–सह–संयुक्त सचिव।